न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र धारा 89 : 03/2013
दायर दिनांक : 03.10.2013
निर्णय दिनांक : 06.04.2026

—: अनवान :—

1. श्री नैन सिंह पिता चेन सिंह जी राजपूत उम्र 75 वर्ष निवासी मादड़ी देवस्थान, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द, जरिये अधिकार पत्र धारक
2. अभय सिंह पिता नैन सिंह जी राजपूत, निवासी मादड़ी देवस्थान, तहसील राजसमन्द

— प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1. श्री भेरुनाथ मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, मादड़ी देवस्थान, तहसील राजसमन्द जरिये भागीदार श्री गणपत सिंह पिता खेम सिंह जी राजपूत निवासी पूठिया, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
2. खान एवं भू विज्ञान विभाग, जरिये खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड द्वितीय, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब राजसमन्द,

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री गिरीश पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3— श्री अनिल बागोरा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03
4— अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकार की भूमि राजस्व गाँव मादड़ी देवस्थान पटवार सर्कल पडासली तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द में आ.नं. 859/2 रकबा 6.05 बीघा भूमि स्थित हैं। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि में विपक्षी संख्या एक ने एक खनन पट्टा खनिज बाबत क्वार्ट्ज फेल्सपार विपक्षी संख्या दो से एम.एल. नं. 22/2010 निकट ग्राम कनावदा के रूप में स्वीकृत करवाया हैं और उक्त स्वीकृत खनन पट्टा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में मिलता हैं। विपक्षी संख्या एक व दो खनन पट्टा स्वीकृत कराने के लिये एक भागीदारी फर्म का निर्माण किया और भागीदारी फर्म का गठन दिनांक 04.03.2010 को किया जाकर भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत इसका पंजीयन करवाया गया। भागीदारी फर्म के गठन के बाद खनिज विभाग में फर्म के नाम से खनन पट्टा आवंटित/स्वीकृत कराने बाबत विपक्षी सं. एक के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया। उस आवेदन पत्र पर खनिज विभाग ने कार्यवाही करके खनन पट्टा सं. 22/2010 के रूप में खनिज बाबत क्वार्ट्ज फेल्सपार हेतु दिनांक 29.10.2010 को खनन पट्टा स्वीकृत कर दिनांक 29.12.2010 को खनन पट्टे का पंजीयन किया गया। विपक्षी संख्या एक के द्वारा खनिज विभाग में आवंटन पत्र पेश किया। उस आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदित क्षेत्र निजी खातेदारी का होने पर संबंधित खातेदार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे सतही अधिकार का मुआवजा देकर भूमि में प्रवेश करेगा। तथा खनन कार्य एवं खनिज का उत्पादन सतही अधिकार का मुआवजा अदा कर प्राप्त करेगा। खनिज विभाग ने जो लीज डीड स्वीकृत की गई हैं, उक्त लीज डीड की पृष्ठ सं. 19 पार्ट–8 की शर्त सं. 2 के तहत यह भी खनिज विभाग ने यह भी शर्त तय की कि निजी खातेदारी की भूमि होने पर भूमिधारी को उसके सतही अधिकार का मुआवजा खनन गतिविधि से पहले खनन पट्टा–धारी के द्वारा अदा किया जावेगा। मुआवजा राशि अदा किये बिना या जमा कराये बिना खनन कार्य करने का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा राशि भू–अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय की जावेगी। विपक्षी संख्या एक के द्वारा प्रार्थी को सतही अधिकार का मुआवजा दिये बिना ही खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जबकि मुआवजा की राशि उसके द्वारा अदा नहीं की गई हैं, मुआवजा राशि अदा किये बिना उसे खनन कार्य करने का अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी ने इस संबंध में विपक्षी सं. संख्या एक के विरुद्ध एक वाद न्यायालय में पेश किया गया है, लेकिन सिविल न्यायालय को मुआवजा राशि तय करने का अधिकार नहीं हैं। मुआवजा तय करने का अधिकार केवल आप न्यायालय को प्राप्त हैं। इसलिये यह याचिका आप न्यायालय में प्रस्तुत हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो विपक्षी के खनन क्षेत्र में गिरती हैं, उसका सतही अधिकार का मुआवजा तय किया जाकर प्रार्थी को दिलाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश पुरोहित उपस्थित। विपक्षी संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व गाँव मादड़ी देवस्थान पटवार सर्कल पडासली तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द में आ.नं. 859/2 रकबा 6.05 बीघा भूमि स्थित हैं। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि में विपक्षी संख्या एक ने एक खनन पट्टा खनिज बाबत क्वार्ट्ज फेल्सपार विपक्षी संख्या दो से एम.एल. नं. 22/2010 निकट ग्राम कनावदा के रूप में स्वीकृत करवाया हैं और उक्त स्वीकृत खनन पट्टा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में मिलता हैं। विपक्षी संख्या एक व दो खनन पट्टा स्वीकृत कराने के लिये एक भागीदारी फर्म का निर्माण किया और भागीदारी फर्म का गठन दिनांक 04.03.2010 को किया जाकर भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत इसका पंजीयन करवाया गया। भागीदारी फर्म के गठन के बाद खनिज विभाग में फर्म के नाम से खनन पट्टा आवंटित/स्वीकृत कराने बाबत विपक्षी सं. एक के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया। उस आवेदन पत्र पर खनिज विभाग ने कार्यवाही करके खनन पट्टा सं. 22/2010 के रूप में खनिज बाबत क्वार्ट्ज फेल्सपार हेतु दिनांक 29.10.2010 को खनन पट्टा स्वीकृत कर दिनांक 29.12.2010 को खनन पट्टे का पंजीयन किया गया। विपक्षी संख्या एक के द्वारा खनिज विभाग में आवंटन पत्र पेश किया। उस आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदित क्षेत्र निजी खातेदारी का होने पर संबंधित खातेदार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे सतही अधिकार का मुआवजा देकर भूमि में प्रवेश करेगा। तथा खनन कार्य एवं खनिज का उत्पादन सतही अधिकार का मुआवजा अदा कर प्राप्त करेगा। खनिज विभाग ने जो लीज डीड स्वीकृत की गई हैं, उक्त लीज डीड की पृष्ठ सं. 19 पार्ट–8 की शर्त सं. 2 के तहत यह भी खनिज विभाग ने यह भी शर्त तय की कि निजी खातेदारी की भूमि होने पर भूमिधारी को उसके सतही अधिकार का मुआवजा खनन गतिविधि से पहले खनन पट्टा–धारी के द्वारा अदा किया जावेगा। मुआवजा राशि अदा किये बिना या जमा कराये बिना खनन कार्य करने का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा राशि भू–अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय की जावेगी। विपक्षी संख्या एक के द्वारा प्रार्थी को सतही अधिकार का मुआवजा दिये बिना ही खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मुआवजा तय करने का अधिकार केवल आप न्यायालय को प्राप्त हैं। इसलिये यह याचिका आप न्यायालय में प्रस्तुत हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो विपक्षी के खनन क्षेत्र में गिरती हैं, उसका सतही अधिकार का मुआवजा तय किया जाकर प्रार्थी को दिलाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने लिखित बहस प्रस्तुत की। जिसके अनुसार प्रार्थी (नैन सिंह) ने आराजी नंबर 859/2, रकबा 6.05 बीघा के संबंध में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह पूर्णतः निराधार और तथ्यों से परे है। विपक्षी संख्या 1 ने खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही प्रार्थी को सरफेस राइट (सतही अधिकार) का मुआवजा तयशुदा राशि के अनुसार नकद अदा कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में प्रार्थी ने दिनांक 15.02.2010 को रूपये100/– के स्टाम्प पर स्पष्ट रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निष्पादित करके दिया था। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने मुआवजे की तय राशि प्राप्त कर ली है और अब उसे या उसके वारिसान को भविष्य में खनन कार्य, मशीनरी लगाने या वाहनों के आवागमन को लेकर कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रार्थी द्वारा पूर्व में इसी विषय पर सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तत्पश्चात जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमंद के यहाँ की गई अपील की है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी केवल दुर्भावनापूर्ण तरीके से बार–बार कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रार्थी नैन सिंह द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिए जाने के बाद और अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद, इस फाइल/अपील को चालू रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रार्थी केवल और अधिक धन प्राप्त करने के लालच में इस मामले को खींच रहा है। अतः श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत यह लिखित बहस स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार विवादित भूमि में खनन लीज संख्या 22/2010 दिनांक 22.11.2010 को स्वीकृत की गई थी। इस लीज में प्रार्थी श्री नैन सिंह, पिता श्री चौन सिंह की भूमि भी स्थित है। पर इस भूमि को लीज पर दिए जाने से पूर्व प्रार्थी श्री नैन सिंह, पिता श्री चैन सिंह द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2010 को जारी किया गया। इसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि इस भूमि पर अप्रार्थी द्वारा खनन लीज स्वीकृत कराई जाए, खनन कार्य किया जाए, माल निकाला जाए, माल का विक्रय कर भुगतान प्राप्त किया जाए, वाहन लाए जाएं। ये समस्त कार्य किए जाएं, उसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। तथा उसके वारिसान भाई–बंधु रिश्तेदार का भी भविष्य में कोई उरज/एतराज नहीं होगा। साथ ही जहाँ मेरे हस्ताक्षर की जरूरत पड़े उसे इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही मानने के लिए माइनिंग विभाग स्वतंत्र होगा। साथ ही उसने यह भी अंकित किया है कि इस भूमि पर खातेदारी हक मेरा होगा, परन्तु मेरे द्वारा तयशुदा राशि नकद प्राप्त कर ली है और इस अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर के दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ यह दस्तावेजी रूप से साबित हुआ है कि प्रार्थी ने अपनी भूमि के सरफेस राइट के बदले जो भी मुआवजा राशि है, उसकी सहमति अनुसार वर्ष 2010 में ही प्राप्त कर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ली गई है तथा अब वह भूमि का पुनः मुआवजा चाहता है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि यह सही है कि खनन का कार्य खातेदार की सहमति से ही किया जा सकता है, परन्तु यहाँ खातेदार सहमति पूर्व में ही प्रकट कर चुका है तथा उसके बदले राशि भी प्राप्त कर चुका है। ऐसी स्थिति में इसकी भूमि के सरफेस राइट के बदले में धारा 89 के तहत पुनः मुआवजा दिया जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद